भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड
प्रकाश विहार, धर्मपुर, देहरादून – 248001

दूरभाष
कार्यालय : (0135) 2677469
फैक्स : (0135) 2677469
www.bcputtarakhand.in
bcpuk.ddn@gmail.com

पत्रांक : 597/भाचिप / विज्ञापन / सा–43 / 2014–15 दिनांक : 21 मई 2014

## आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सकों के पंजीकरण / नवीनीकरण हेतु सूचना

भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड में स्थायी पंजीकृत वैद्यों / हकीमों (चिकित्सकों) को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ऐसे वैद्य / हकीम (चिकित्सक) जो पूर्व में इस परिषद में स्थायी पंजीकृत हैं तथा उनके निबंधन की अवधि पांच वर्ष या उससे अधिक हो गई हैं, वे अविलम्ब अपने पंजीकरण का नवीनीकरण करा लें। भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, नई दिल्ली के आदेश संख्या 7–20 / 2008–आर.क्यू. दिनांक 22.02.2010 एवं आदेश संख्या 16-1/2013-Act(1)(Pt.1) दिनांक 17.06.2013 के अनुसार राज्य पंजिका का अद्यतन (up date) होना आवश्यक है।

पंजीकरण के नवीनीकरण कराने के सम्बंध में सम्बंधित वैद्य / हकीमों (चिकित्सकों) को नोटिस भी जारी किये जा चुके हैं कि नवीनीकरण न कराने पर उनके पंजीकरण निरस्त कर दिये जायेंगे तथा पंजीकरण की मान्य अवधि समाप्त होने तथा राज्य पंजिका में नाम, चिकित्साभ्यास का पता, डिग्री आदि अद्यतन (up date) न होने पर कोई वैधानिक कार्यवाही होती है तो इसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बंधित वैद्य / हकीम (चिकित्सक) का रहेगा। नवीनीकरण हेतु निर्धारित शुल्क रू0 2000 / – (दो हजार) का बैंक ड्राफ्ट 'रजिस्ट्रार, भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून के पक्ष में तथा पूर्व स्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र मूल में जमा करना होगा।

उत्तराखण्ड राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में ऐसे शासकीय / अर्द्धशासकीय सेवारत अथवा निजी चिकित्साभ्यासी, आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा पद्यति के चिकित्सक तथा फार्मेसिस्ट, जिन्होंने भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड में अभी तक अपना स्थायी पंजीकरण नहीं कराया है वे भी अपना पंजीकरण अवश्य करा लें। निकट भविष्य में सी.सी. आई.एम. चुनाव के दृष्टिगत पंजीकरण / नवीनीकरण / राज्य पंजिका में नाम अंकित होना आवश्यक है ताकि उक्त चुनाव में सम्बंधित चिकित्सक मताधिकार से वंचित न रहें।

**नोट : भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड की बैबसाईट WWW.bcputtarakhand.in है, जिसके द्वारा अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।**

(बीरेन्द्र दत्त मैठाणी)
रजिस्ट्रार